



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 558 राँची, शुक्रवार, 15 कार्तिक, 1942 (श०)
6 नवम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

20 अक्टूबर, 2020

संख्या-13/न्या० प्रो० नि०-03/2018 (खण्ड) का०- 5324 -- झारखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 12/2018 के क्रम में आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्न वर्णित एक अभ्यर्थी- सुचिता निधि तिग्गा को झारखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-प्रशिक्षु के पद पर वेतनमान 27700-44770 में नियुक्त किया जाता है। सुश्री तिग्गा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर झारखण्ड उच्च न्यायालय में अपना योगदान समर्पित करेंगी -

रौल नम्बर	अनुशंसित अभ्यर्थी के नाम एवं पिता के नाम	कोटि	पूर्ण पता
12011183	सुचिता निधि तिग्गा d/o पेद्रूस तिग्गा	ST	स्थायी पता एवं पत्राचार पता :- हरमू बस्ती, पो0- हरमू हाउसिंग कॉलोनी, थाना- अरगोड़ा, जिला-राँची, झारखण्ड-834002

2. नवनियुक्त न्यायिक पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि का विस्तार अथवा सम्पुष्टि झारखण्ड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 2004 के नियम-21 एवं 22 के अनुसार यथाविहित झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आधार पर होगी।

3. सुश्री तिग्गा को निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-52 के तहत चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं दहेज नहीं लेने-देने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र के साथ अपना योगदान झारखण्ड उच्च न्यायालय में देंगे।

4. नवनियुक्त न्यायिक पदाधिकारियों का पदस्थापन तथा वरीयता का निर्धारण झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
